

476

क्र. ७

पत्रावली का कार्य
दिनांक 23.12.19

उ. जिला कलेक्टर
बागमती (जिला-संमत्)

23/12/19

पत्रावली पैथ हुई। वकील समय पर उपस्थित नहीं हुए। बार
बार आवाज डिलाई गई कोई हानिर नहीं है। वकील
बाड़ी ने आज तक प्रतिवादी से ललकी नहीं कराई है।
अतः बाड़ी का द्वारा ललकी के अभाव में अदम बाजरी
एवं अदम पैथी में खारीफ किया जाता है। पत्रावली
फैलल भूमाए लोकए बाद लोकनीए कपतर शरकीए की जावे।

उ. जिला कलेक्टर
बागमती (जिला-संमत्)

